Recommendation Regarding Disinvestment of 51% of Equity of fact

1054. SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Disinvestment Commission has recommended disinvestment of 51% of equity of Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd. (FACT) alongwith management control;

(b) whether a delegation of employees of FACT has met him and urged him not to accept the recommendation; and

(c) if so, what are the suggestions made by them to overcome the present difficulties being faced by the company and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A. K. PATEL): (a) and (b) Yes Sir.

(c) The delegation also submitted a memorandum requesting inter-alia for reliefs to offset the high cost of FACT's Replacement Ammonia Plant and certain changes in the policy of subsidisation of fertilizer nutrients. The concessions sought by FACT for off setting the cost of production in the Ammonia Replacement Plant are being examined.

The policy of subsidisation of fertilizer nutrients is being reviewed in the light of the recommendations of the High Powered Fertilizer Pricing Review Committee. The recommendations of the Disinvestment Commission for disinvestment of Government equity in FACT are being examined.

यूरिया सौदे में करसन से देय राशि की वसूली

1055. **श्री रामजी लाल: क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मई, 1998 के "राष्ट्रीय सहारा" के मुख पृष्ठ पर "करसन अधिकारियों ने अदालत से बाहर मामला सुलझाने की फिर पेशकश की" तथा "भारत से जाने दो तो पाई-पाई लौटा देंगे" शीर्षक से समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने करसन अधिकारियों से ब्याज सहित समस्त धनराशि वसूल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) जी, हां।

(ख) मै० करसन लि० के अधिवक्ता से न्यायालय के बाहर के निबटारे प्रस्ताव के निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा है। मै० करसन लि० की ओर किए गये पहले प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये हैं।

(ग) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन० एफ० एल०) ने हरजाने के साथ धनराशि की वसूली करने के लिए इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ आरबीट्रेशन, पेरिस में दावे दायर किये हैं।

पेड़ों की अवैध कटाई

1056. **श्री रामगोपाल यादव: क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों की शह पर बड़े पैमाने पर खुलेआम हो रही पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों के आदेश पर बड़े पैमाने पर वृक्षों के अवैध कटान के किसी मामले के बारे में केन्द्र सरकार को कोई सूचना नहीं है। तथापि, हाल ही में प्रकाशित स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1997 के अनुसार, वनावरण में 5482 वर्ग कि०मी० की समग्र कमी हुई है। इसके अतिरिक्त, सघन वन आवरण में 17,777 वर्ग कि०मी० की कमी आई है। भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे वनावरण में हो रही कमी को गम्भीरता से लें और वनावरण में कमी के कारणों का गहराई से विश्लेषण करें और उक्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक प्रभावी रणनीति और कार्यक्रम तैयार करें ताकि आने वाले वर्षों में वनावरण में वृद्धि की जा सके।

मंत्रालय ने योजना आयोग और संबंधित राज्य सरकारों से वानिकी के क्षेत्र के लिए आवंटनों में वृद्धि करने का भी अनुरोध किया है। राज्य सरकारों से संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत वन संसाधनों की सुरक्षा करने और उनका विकास करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी गई है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन भूमियों के डाइवर्जन को विनियमित करने हेतु बनाया गया है।

केवला देव पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी

1057. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में केवला देव पक्षी अभ्यारण्य में विदेशों से आने वाले पक्षियों की संख्या में कमी आने के क्या-क्या कारण हैं;

(ख) इन पक्षियों की संख्या में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की कमी आने का अनुमान लगाया है;

(ग) इस अभ्यारण्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान पक्षियों के अवैध शिकार की कितनी घटनाएं हुई तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया; और

(घ) इस अभ्यारण्य में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने, अवैध चराई तथा अतिक्रमण एवम् अवैध शिकार को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) और (ख) केवला देव राष्ट्रीय पार्क, भरतपुर केवलादेवी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से लोकप्रिय है। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, विदेशों से इस पार्क में प्रवास करने वाले पक्षियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस पार्क में पक्षियों के अवैध शिकार संबंधी केवल एक मामले का पता चला है। तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और मामला न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है ।

(घ) पार्क के लिए जल की पर्याप्त मात्रा प्रत्येक वर्ष राज्य सिंचाई विभाग से प्राप्त की जाती है। अतिक्रमणों और अवैध चराई को रोकने के लिए पार्क के चारों ओर पत्थर की दीवार बनाई गई है। पार्क में वायरलैस से लैस 8 जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। सुरक्षा गार्डों द्वारा नियमित गश्त भी की जाती है।

Development of Forests in Orissa

1058. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state: (a) whether the State Government of Orissa has submitted any project/proposal to the Union Government for the development of forests in that State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken to approve those projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARNDI): (a) to (c) The Government of Orissa submitted project proposals to the National Afforestation & Eco-Development Board (NAEB) under the following three schemes:—

(1) Integrated Afforestation & Eco-Development Project Scheme (IAEPS).

(2) Area Oriented fuelwood & Fodder Project Scheme (AOFFP)

(3) Non-Timber Forest Produce Scheme (NTFP).

for implementation in the IXth Plan Period. Of these, the following have been sanctioned:—

(1) AOFFP: for a total project cost of Rs. 1130.94 lakhs to treat 16,665 hectares.

(2) NTFP: for a total project cost of Rs. 492 lakhs to treat 6,000 hectares.

Three projects proposals under the IAEPS scheme for Chilka, Salandi and Tel Watersheds have been sent by the State Government on the 16th May, 1998 and are being processed.

वायु तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज मामले

1059. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल